

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4 (ई) (नि.प. 299/92)/()/अलेसे-III/10235-51

दिनांक :- 12.11.13

कार्यालय आदेश

प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, कोटा द्वारा लम्बे समय से अनुपस्थित रहने के कारण श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार को उनके पत्रांक 276 दिनांक 21.10.2013 द्वारा इस विभाग में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने दिनांक 23.10.2013 को विभाग में अपनी उपस्थिति दी है। श्री शर्मा को दिनांक 23.10.2013 से आदेशों की प्रतीक्षा में लिया जाकर बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु मुख्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, कोटा किया जाता है।


(महेन्द्र सिंह भूकर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक:- एफ.4 (ई) (नि.प. 299/92)/()/अलेसे-III/10235-51

दिनांक :- 13.11.13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, कोटा।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, कोटा।
4. प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा क.लेखाकार के विरुद्ध लगातार अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र तैयार कर प्रेषित करें।
5. संयुक्त निदेशक (जांच) कार्यालय हाजा।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (ACD) कार्यालय हाजा



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)